



स्तंभ 3 के तहत बेसल-III प्रकटीकरण (30 जून, 2026 तक)

प्रकटीकरण प्रारूप

प्रकटीकरण प्रारूप -1: आवेदन का दायरा

रिपोर्टिंग की तिथि तक, राष्ट्रीय आवास बैंक के पास कोई सहायक / समूह इकाई नहीं है जो मास्टर निर्देश - भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2025 के अनुसार समेकन के लिए अर्हता प्राप्त करती है। अतः यह प्रकटीकरण प्रारूप राष्ट्रीय आवास बैंक पर लागू नहीं है।

प्रकटीकरण प्रारूप -2: पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

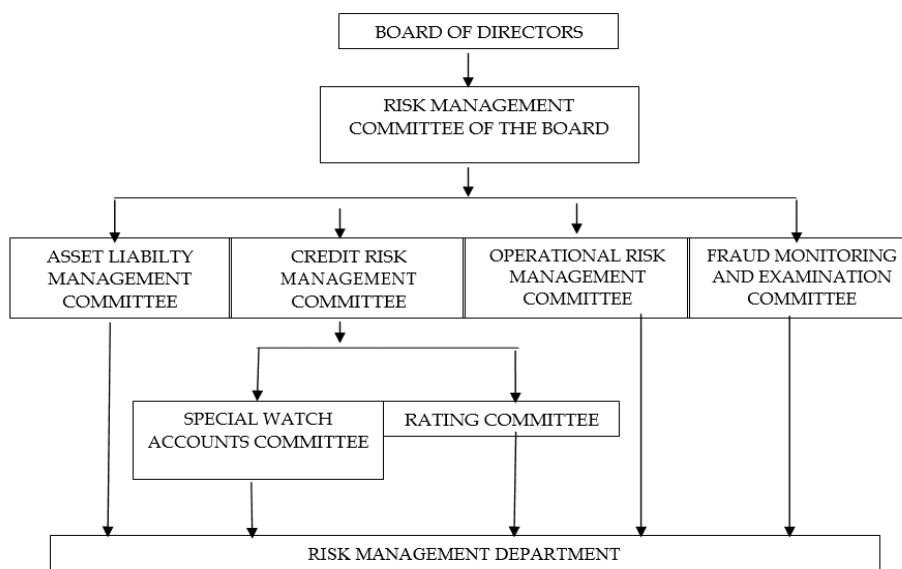
1. पूंजी पर्याप्तता

बैंक संभावित नुकसान के जोखिम से बचाव और अपने हितधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों की सुरक्षा के लिए पूंजी बनाए रखता है और उसका प्रबंधन करता है। बैंक की भावी पूंजी आवश्यकता को उसकी व्यावसायिक रणनीति के अनुसार, उसकी वार्षिक व्यावसायिक योजना के एक भाग के रूप में अनुमानित किया जाता है।

1 जुलाई, 2024 से प्रभावी बेसल III दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है। बेसल III मानदंडों का ध्यान टियर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर केंद्रित है। बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, प्रभावी और निरंतर निगरानी एवं नियंत्रण के लिए, जहाँ तक संभव हो, ऋण, बाज़ार (तरलता सहित) और परिचालन जोखिम जैसे जोखिम के प्रमुख क्षेत्रों और इन जोखिमों के परिमाणीकरण पर केंद्रित है।

2. जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए संगठनात्मक संरचना

बैंक द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के आकार और प्रकृति पर विचार करने के बाद निम्नलिखित संगठनात्मक संरचना विकसित की गई है।



शीर्ष स्तर पर बोर्ड: जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी बैंक के निदेशक मंडल की होगी। बोर्ड बैंक के एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और उससे जुड़ी नीतियों को अनुमोदित करेगा और विभिन्न जोखिम सीमाएँ निर्धारित करेगा।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति: निदेशक मंडल ने बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की निगरानी हेतु एक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति वित्तीय मॉडलों की मज़बूती सुनिश्चित करती है, जोखिम सहनशीलता सीमाओं के विरुद्ध प्रदर्शन की निगरानी करती है, और आंतरिक नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से बैंक के समग्र जोखिम प्रोफाइल का आकलन करती है और बोर्ड को अनुमोदन के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियों की सिफ़ारिश करती है।

जोखिम प्रबंधन विभाग: बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति को क्रियान्वित करता है और सभी व्यावसायिक कार्यों से स्वतंत्र होता है। इसके तीन कार्य हैं, बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और परिचालन जोखिम।

बैंक ने एकीकृत आधार पर बैंक-व्यापी जोखिम प्रबंधन के लिए एक संगठनात्मक ढाँचा स्थापित किया है। यह ढाँचा संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उद्यम-व्यापी आधार पर सभी भौतिक जोखिमों के मापन और प्रबंधन हेतु समन्वित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह ढाँचा नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। बोर्ड बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों को अनुमोदित करता है और बैंक की जोखिम क्षमता और जोखिम वहन क्षमता के आधार पर जोखिम सीमाएँ निर्धारित करता है।

बैंक के पास ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम, निवेश और उधार, संपार्श्विक नीति, जोखिम और सीमा प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ हैं। यह भौतिक जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के बैंक के संकल्प को और पुष्ट करता है।

3. जोखिम एक्सपोज़र और पूंजी पर्याप्तता

बैंक की एक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति है, जो बैंक के जोखिम प्रोफाइल के सापेक्ष पूंजी पर्याप्तता की समीक्षा करती है। यह नीति मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत वर्तमान और भविष्य के जोखिमों की पहचान, परिमाणीकरण और आकलन करती है। यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल और पूंजी स्थिति पर गंभीर लेकिन संभावित परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन करने के लिए नियामक तनाव स्थितियों सहित व्यापक तनाव परीक्षण के लिए एक रोडमैप भी प्रस्तुत करती है।

बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति स्तंभ II के अंतर्गत निम्नलिखित भौतिक जोखिमों को परिभाषित करती है:

- क ऋण संकेन्द्रण जोखिम
- ख बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
- ग प्रतिष्ठा जोखिम
- घ रणनीतिक और व्यावसायिक जोखिम
- ड अनुपालन जोखिम
- च तरलता जोखिम

छ पेंशन दायित्व जोखिम

ज साइबर सुरक्षा जोखिम

I. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, आय और पूंजी के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम है, जो ऋणदाता संस्थान के साथ किसी भी ऋण सुविधा के लिए अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में दायित्वकर्ता की विफलता या अपने दायित्व का सम्मान करने में विफलता से उत्पन्न होता है।

बैंकों के लिए, ऋण क्रेडिट जोखिम का सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट स्रोत हैं; हालांकि, ऋण जोखिम के अन्य स्रोत बैंक की संपूर्ण गतिविधियों में मौजूद रहते हैं, जिसमें बैंकिंग बही, ट्रेडिंग बही, और बैलेंस शीट पर और उसके बाहर दोनों जगह शामिल हैं। बैंकों को विभिन्न वित्तीय साधनों में ऋण जोखिम (या प्रतिपक्ष जोखिम) का सामना करना पड़ रहा है।

II. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बैलेंस शीट पर मौजूद या उससे बाहर की स्थिति के मूल्य पर इक्विटी और ब्याज दर बाजारों में उतार-चढ़ाव, ब्याज दर में बदलाव और मुद्रा विनिमय दरों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, बाजार जोखिम, ब्याज दरों के बाजार स्तर या प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और इक्विटी की कीमतों में बदलाव, साथ ही उन बदलावों की अस्थिरता के कारण बैंक की आय और पूंजी को होने वाला जोखिम है।

बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन ढांचा बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए जोखिम मूल्य, पीवी01 के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं को परिभाषित करता है, जिसे "ट्रेडिंग के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

III. परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों, या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम है। इस परिभाषा में कानूनी, धोखाधड़ी और तकनीकी जोखिम शामिल हैं, लेकिन रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं।

IV. प्रतिपक्ष ऋण जोखिम

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसके तहत किसी लेनदेन का प्रतिपक्ष, लेनदेन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले चूक कर सकता है। यदि चूक के समय प्रतिपक्ष के साथ लेनदेन या लेनदेन के पोर्टफोलियो का बैंक के लिए सकारात्मक आर्थिक मूल्य हो, तो आर्थिक हानि होगी। ऋण के माध्यम से ऋण जोखिम के विपरीत, जहाँ ऋण जोखिम एकतरफा होता है और केवल ऋणदाता बैंक ही हानि के जोखिम का सामना करता है, प्रतिपक्ष ऋण जोखिम हानि का एक द्विपक्षीय जोखिम उत्पन्न करता है जिससे कई विभिन्न प्रकार के लेनदेन का बाजार मूल्य किसी भी प्रतिपक्ष के लिए सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।

बैंक ने मुख्य रूप से हेजिंग/ जोखिम निवारण उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले डेरिवेटिव से जुड़े जोखिम प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। डेरिवेटिव नीति में अनुमत डेरिवेटिव उपकरणों और उनके आसपास के आंतरिक नियंत्रणों की सूची दी गई है। बैंक निम्नलिखित से सुरक्षा के लिए पूंजी रखेगा:

- डिफॉल्ट जोखिम प्रभार - वह जोखिम है जो प्रतिपक्ष द्वारा डिफॉल्ट किए जाने पर होता है।
- मार्क-टू-मार्केट प्रतिपक्ष जोखिम - इसमें क्रेडिट मूल्यांकन समायोजन जोखिम शामिल है।

V. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम से तात्पर्य बैंकिंग बही परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ-बैलेंस-शीट स्थितियों को प्रभावित करने वाले ब्याज दरों में प्रतिकूल आंदोलनों से उत्पन्न आय और पूंजी के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम से है।

मूल्यांकन के एक भाग के रूप में, बैंक ने इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए संशोधित अवधि अंतराल दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसके लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट (आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार) विभिन्न समय-सीमाओं में परिसंपत्तियों और देनदारियों का मानचित्रण आवश्यक है।

4. पूंजी पर्याप्तता का आकलन

बैंक को जिन पूंजीगत आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है, वे इस प्रकार हैं:

	नियामक पूंजी	आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में
(i)	न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात	5.5
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	1.5
(iii)	न्यूनतम टियर 1 पूंजी अनुपात [(i)+(ii)]	7.0
(iv)	टियर 2 पूंजी	2.0
(v)	न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात [(i)+(ii)]	9.0

बैंक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम पूंजी 9% है। बैंक का सीआरएआर, बेस्ड III कैपिटल रेगुलेशन में निर्धारित न्यूनतम नियामकीय सीमा से अधिक है और 30-06-2026 तक के पूंजी अनुपात नीचे दिए गए हैं।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र. सं.	मद	30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	

	· मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	2,839.04
	· प्रतिभूतिकरण जोखिम	-
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
	· मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	388.30
	- ब्याज दर जोखिम	12.93
	- विदेशी मुद्रा जोखिम	10.76
	- इक्विटी जोखिम	364.61
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं	
	· मूल संकेतक दृष्टिकोण	391.23
(ङ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी	
	· समूह	
	- सीईटी 1 कैपिटल	-
	- टियर 1 कैपिटल	-
	- टियर 2 कैपिटल	-
	- कुल पूंजी	-
	· स्टैंडअलोन	
	- सीईटी 1 कैपिटल	17,579.27
	- टियर 1 कैपिटल	17,579.27
	- टियर 2 कैपिटल	394.31
	- कुल पूंजी	17,973.58
(च)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात:	
	· समूह सीआरएआर	
	- सीईटी 1 अनुपात	-
	- टियर 1 अनुपात	-
	- टियर 2 अनुपात	-
	- सीआरएआर	-
	· स्टैंडअलोन सीआरएआर	
	- सीईटी 1 अनुपात	42.58%
	- टियर 1 अनुपात	42.58%
	- टियर 2 अनुपात	0.95%
	- सीआरएआर	43.53%

प्रकटीकरण प्रारूप-3: ऋण जोखिम - सामान्य प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. पिछले देय और क्षतिग्रस्त की परिभाषाएँ (लेखा प्रयोजनों के लिए):

बैंक अपने ऋणों और निवेशों को भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित और गैर निष्पादित ऋणों में वर्गीकृत करता है।

2. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम को सरल शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि बैंक का उधारकर्ता या प्रतिपक्ष सहमत शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो सकता है। यह उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षों की ऋण गुणवत्ता में कमी से जुड़ी हानि की संभावना है। बैंक के पोर्टफोलियो में, हानियाँ ग्राहक या प्रतिपक्ष द्वारा ऋण, व्यापार, निपटान और अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थता या अनिच्छा के कारण पूर्ण चूक से उत्पन्न होती हैं। दूसरी ओर, हानियाँ ऋण गुणवत्ता में वास्तविक या अनुमानित गिरावट के कारण पोर्टफोलियो में कमी के कारण होती हैं।

बैंक ने बैंक की सभी जोखिम प्रबंधन नीतियों के लिए एक अम्ब्रेला के रूप में कार्य करने के लिए एक विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। इस नीति का लक्ष्य, अन्य बातों के अलावा, बैंक के सभी कार्यों में ऋण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी ढांचा बनाना और दीर्घकालिक में संगठनात्मक मजबूती और स्थिरता को सुरक्षित करना है। नीति में बैंक के ऋण व्यवसाय की प्रकृति, क्रेडिट रेटिंग मॉडल, रेटिंग समिति की संरचना, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और बेसल 3 दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी गणना पद्धति का विवरण दिया गया है।

क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल

वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक ने विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए आंतरिक क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें उधारकर्ताओं का मूल्यांकन आंतरिक रेटिंग समिति द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह, सभी गैर-एसएलआर निवेशों के लिए, जारीकर्ता/प्रतिपक्ष को उपयुक्त आंतरिक क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल पर रेट किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) और उधारकर्ताओं के लिए वर्तमान में आंतरिक क्रेडिट जोखिम रेटिंग मॉडल का पालन किया जा रहा है।

ऋण स्वीकृति और संबंधित प्रक्रियाएं

क. ऋण मूल्यांकन मानक: स्वीकृति, संवितरण, संग्रहण और एमआईएस से संबंधित प्रक्रियाएँ मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होती हैं। स्वीकृति ज्ञापन मानक संचालन प्रक्रिया में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार

- किए जाते हैं। मूल्यांकन और स्वीकृति के मानदंडों में बुनियादी पात्रता मानदंडों और प्रमुख वित्तीय मानदंडों का अनुपालन शामिल है।
- ख. जोखिम सीमाएँ: प्रतिपक्ष जोखिम मानदंड प्रतिपक्ष की आंतरिक रेटिंग के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं और अधिकतम जोखिम सीमा बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार निर्धारित की जाती है। जोखिम प्रबंधन नीति में विभिन्न श्रेणियों के प्राथमिक ऋण संस्थानों जैसे आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के लिए जोखिम मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- ग. मंजूरी देने की शक्तियाँ: मंजूरी देने की शक्तियाँ विभिन्न समितियों के माध्यम से बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित की जाती हैं।

ऋण निगरानी तंत्र:

बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऋण निगरानी एक सतत प्रक्रिया है। निगरानी को मजबूत करने के लिए बैंक ने ऑनसाइट और ऑफसाइट निगरानी तंत्र स्थापित किए हैं। ये प्रणालियाँ पोर्टफोलियो का समय पर विश्लेषण सुनिश्चित करती हैं और अंतर्निहित प्रतिभूतियों और समग्र ऋण जोखिम पर नियंत्रण को सक्षम बनाती हैं।

क ऋण निरीक्षण: प्रत्येक स्वीकृत की गई सुविधा के लिए, पहली किस्त जारी होने के बाद ऋण निरीक्षण किए जाते हैं। मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए, जिनकी सीमा अभी भी बकाया है, लेकिन जिन्होंने किसी भी तरह की बढ़ोतरी या नई सीमा के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके निरीक्षण हर वर्ष किए जाते हैं। इससे उधारकर्ता के कामकाज, सुरक्षा की स्थिति और निधि के अंतिम इस्तेमाल का समय-समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। हालाँकि, नए ग्राहकों के मामले में, प्रत्येक स्वीकृत के बाद, पहली किस्त जारी होने से पहले ऋण निरीक्षण किया जाता है।

ख विशेष निगरानी खातों की (एसडब्ल्यूए) की निगरानी: विशेष निगरानी खातों के वर्गीकरण का उद्देश्य उन ऋण खातों की पहचान करना है, जो पहले से तय एसडब्ल्यूए पैमानों के आधार पर तनाव के शुरुआती संकेत दिखा रहे हैं। इससे बैंक को परिसंपत्ति की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलती है। बैंक एसडब्ल्यूए मानदंडों के अनुसार उभरती कमजोरियों का पता लगाने के लिए, समय-समय पर अपने पूरे पोर्टफोलियो में इन पैमानों की निगरानी करता है।

ग सभी बकाया खातों की वार्षिक ऋण समीक्षा: ऋण समीक्षा तंत्र बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने का एक प्रभावी उपकरण है। इस तंत्र के तहत, सभी बकाया ऋण खातों की वार्षिक समीक्षा की जाती है। यह प्रक्रिया पीएलआई के प्रदर्शन, विवेकपूर्ण पुनर्वित्त सीमा के पालन और उभरते जोखिमों का आकलन करती है, जिससे पोर्टफोलियो की निगरानी और अधिक सुदृढ़ होती है।

घ रिटर्न का विश्लेषण (ऑफसाइट निगरानी): रिटर्न का विश्लेषण, बैंक के ऑफसाइट निगरानी ढाँचे का एक घटक है। बैंक, प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित विभिन्न रिटर्न का समय-समय पर

विश्लेषण करता है। इन रिटर्न की बारीकी से जाँच की जाती है, ताकि बकाया पुनर्वित्त राशि के मुकाबले उपलब्ध प्रतिभूति की पर्याप्तता का आकलन किया जा सके और उभरते रुझानों या जोखिम संकेतकों की पहचान की जा सके। इस विश्लेषण से प्राप्त अंतर्दृष्टियों की मदद से बैंक, उपलब्ध प्रतिभूति में कमियों का पता लगा पाता है और उन परिचालन या वित्तीय मुद्दों को उजागर कर पाता है, जिनके लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है।

ड प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की निगरानी: बैंक के पास धोखाधड़ी रोकथाम और प्रबंधन नीति है, जिसमें आरबीआई के धोखाधड़ी - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर परिपत्र के आधार पर रेड फ्लैग अकाउंट (आरएफए) को परिभाषित करने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता निर्धारित की गई है। इसके लिए, प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) की उपस्थिति से धोखाधड़ी की गतिविधि के संदेह की पहचान करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेत के लिए मापदंडों को बनाए रखने का प्रावधान परिभाषित किया गया है। विभाग संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए रेड फ्लैग खातों की पहचान करने के लिए ईडब्ल्यूएस उधारकर्ताओं के खातों की लगातार निगरानी करता है।

3. पात्र संपार्श्विक

बैंक अपने सामने आने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, जोखिम को प्रथम प्राथमिकता वाले दावों द्वारा संपार्श्विक बनाया जा सकता है, या किसी तीसरे पक्ष द्वारा गारंटी दी जा सकती है, आदि।

ऋण जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य तीसरे पक्ष की गारंटी सहित मूर्त और वसूली योग्य प्रतिभूतियों का सुरक्षा जाल बनाकर तथा देनदार के शोधन अक्षमता/दिवालियापन/परिसमापन की स्थिति में सुरक्षित ऋणदाता का दर्जा प्राप्त करके ऋण जोखिम में कमी लाना है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकार किए गए नीचे उल्लिखित उपकरण/संपार्श्विक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बेसल III दिशानिर्देशों के तहत ऋण जोखिम शमन के लिए पात्र हैं:

- बैंक गारंटी
- मूल संस्थान की कॉर्पोरेट गारंटी
- केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी सरकारी गारंटी

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर*

विवरण	30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)
निधि आधारित जोखिम	1,26,048.15
गैर-निधि आधारित जोखिम	31,597.62
कुल सकल ऋण जोखिम*	1,57,645.77

*सकल ऋण जोखिम में ऋण एवं अग्रिम (एनपीए के लिए प्रावधानों को घटाकर) शामिल हैं।

ख. एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण

एक्सपोजर	30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)		
	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	कुल
घरेलू परिचालन	1,26,048.15	31,597.62	1,57,645.77
विदेशी परिचालन	-	-	-
कुल	1,26,048.15	31,597.62	1,57,645.77

ग. उद्योग एक्सपोजर का वितरण

उद्योग	30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)	
	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर
आवास वित्त कंपनियां	98,508.13	17,599.26
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	24,791.02	1,200.00
शहरी अवसंरचना विकास	2,742.33	12,798.36
परियोजना वित्त	6.67	-
ट्रेप्स उधार	-	-
कुल	1,26,048.15	31,597.62

घ. उन उद्योगों का ऋण जोखिम, जिनका बकाया जोखिम बैंक के कुल सकल ऋण जोखिम के 5% से अधिक है, निम्नानुसार है:

30 जून, 2026 तक

उद्योग	कुल एक्सपोजर (करोड़ में)	कुल सकल ऋण जोखिम का %
आवास वित्त कंपनियां	1,16,107.39	73.65%
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	25,991.02	16.48%
शहरी अवसंरचना विकास निधि	15,540.69	9.85%

ड. परिसंपत्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विवरण

30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)				
परिपक्वता पैटर्न	निवेश	ऋण और अग्रिम	विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	कुल
1 से 7 दिन	0.00	7,775.79	0.00	7,775.79
8 से 14 दिन	0.00	0.00	0.00	0.00
15 से 28 दिन	974.17	0.00	0.00	974.17
29 दिन से 3 महीने तक	116.75	0.00	0.00	116.75
3 महीने से 6 महीने तक	559.99	6,081.23	0.00	6,641.22
6 महीने से 1 वर्ष तक	49.75	11,851.98	0.00	11,901.73
1 वर्ष से 2 वर्ष तक	98.33	21,815.72	0.00	21,914.05
2 वर्ष से 3 वर्ष तक	90.15	17,839.83	0.00	17,929.98
3 वर्ष से 5 वर्ष तक	410.30	27,068.88	0.00	27,479.18
5 वर्ष से 7 वर्ष तक	905.22	23,486.34	0.00	24,391.56
7 वर्ष से 10 वर्ष तक	13.97	10,128.38	0.00	10,142.35
10 वर्षों से अधिक	4.08	0.00	0.00	4.08
कुल	3,222.71	1,26,048.15	0.00	1,29,270.86

च. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की राशि

		राशि (करोड़ में)
क्र. सं.	वस्तुएँ	30 जून, 2026
क)	सकल एनपीए	
	• उप- मानक	-
	• संदिग्ध 1	-
	• संदिग्ध 2	-
	• संदिग्ध 3	644.60
	• क्षति	93.21
ख)	निवल एनपीए	
ग)	एनपीए अनुपात	-
	• सकल अग्रिमों में सकल एनपीए (%)	0.58%
	• निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%)	0.05%
घ)	एनपीए की गतिशीलता (सकल)	

	•	प्रारम्भिक शेष (01.04.2026 की स्थिति के अनुसार)	653.69
	•	परिवर्धन	84.12
	•	कटौती	-
	•	समापन शेष (31.06.2026 की स्थिति के अनुसार)	737.81
इ)	एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन		
	•	प्रारम्भिक शेष (01.04.2026 की स्थिति के अनुसार)	653.69
	•	इस अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	21.03
	•	बढ़े	-
	•	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लेना	-
	•	प्रावधानों के बीच स्थानांतरण सहित कोई अन्य समायोजन	-
	•	समापन शेष (30.06.2026 की स्थिति के अनुसार)	674.72
च)	गैर-निष्पादित निवेश की राशि		0.53
छ)	गैर-निष्पादित निवेशों के लिए रखे गए प्रावधानों की राशि		0.53
ज)	निवेश पर मूल्यहास के प्रावधानों का संचलन		
	•	प्रारम्भिक शेष (01.04.2026 की स्थिति के अनुसार)	61.04
	•	इस अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	0.18
	•	बढ़े	-
	•	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस लेना	-
	•	समापन शेष (30.06.2026 की स्थिति के अनुसार)	61.22

छ. प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार के अनुसार

उद्योग / प्रतिपक्ष	सकल एनपीए	पिछले देय ऋण	प्रावधान	वर्तमान अवधि के दौरान राइट ऑफ
आवास वित्त	644.60	संदिग्ध-3	644.60	-
	93.21	क्षति	30.12	-
कुल	737.81		674.72	-

प्रकटीकरण प्रारूप -4 - मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए ऋण जोखिम प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क्रेडिट जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत रेटिंग एजेंसी का उपयोग

पूंजी गणना प्रक्रिया में बाहरी रेटिंग के उपयोग के संबंध में, बैंक पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशों द्वारा निर्देशित होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, घरेलू एक्सपोजर के लिए जोखिम भार का आकलन, घरेलू ईसीएआई (बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्थानों) द्वारा दी गई बाहरी रेटिंग के आधार पर किया जाएगा।

निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता की गणना हेतु घरेलू एक्सपोजर के जोखिम भारांकन के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर विचार किया जा रहा है:

- एक्यूआईटीई रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड (एक्यूआईटीई)
- ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
- क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड
- आईसीआरए लिमिटेड
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया रेटिंग्स)
- इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (इन्फोमेरिक्स)

इसके अतिरिक्त, पूंजी पर्याप्तता की गणना हेतु दावों की जोखिम भारिता निर्धारित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पहचान की है:

- केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड (सभी नॉन-रेसिडेंट कॉर्पोरेट एक्सपोजर के लिए)
- फिच
- मूडीज़
- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स

बैंक इन एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के बीच न तो कोई भेदभाव करेगा और न ही उनके उपयोग को किसी विशेष प्रकार के जोखिम तक सीमित करेगा।

बैंक बाह्य क्रेडिट रेटिंग मूल्यांकन का उपयोग करते समय निरंतरता और रूढ़िवादिता सुनिश्चित करेगा। बैंक जोखिम भारांकन और जोखिम प्रबंधन दोनों उद्देश्यों के लिए, प्रत्येक प्रकार के दावे के लिए चुनी गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और उनकी रेटिंग का लगातार उपयोग करेगा। बैंक केवल उन्हीं रेटिंग का उपयोग करेगा जो प्रतिपक्ष द्वारा मांगी गई हों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों।

बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा/उधारकर्ता की बाह्य रेटिंग की समीक्षा रेटिंग एजेंसी द्वारा पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार की गई है तथा यह रेटिंग आवेदन की तिथि पर लागू है।

एक वर्ष से कम या उसके बराबर की संविदात्मक परिपक्वता अवधि वाले ऋणों के लिए, चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाएगा। अन्य ऋणों के लिए, जिनकी संविदात्मक परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है, चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाएगा।

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, नकद ऋण जोखिम को दीर्घकालिक जोखिम के रूप में गिना जाएगा और तदनुसार, चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घकालिक रेटिंग प्रदान की जाएगी।

बैंक किसी प्रतिपक्षकार की दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग उसी प्रतिपक्षकार पर अनिर्धारित अल्पकालिक जोखिम के प्रॉक्सी के रूप में करेगा। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, बैंक घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की अल्पकालिक रेटिंग के लिए रेटिंग-जोखिम भार मानचित्रण का पालन करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश उन सुविधाओं के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित करते हैं जिनकी एक से ज्यादा रेटिंग होती हैं। इस संदर्भ में, किसी सुविधा के लिए, जहाँ दो रेटिंग होती हैं, सबसे कम रेटिंग और जहाँ तीन या उससे ज्यादा रेटिंग होती हैं, दूसरी सबसे कम रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा बैंक के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के लिए क्रमशः दी गई सभी दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंगों को बैंक द्वारा मुद्दा विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाएगा।

प्रतिपक्ष पर बिना रेटिंग वाले अल्पकालिक दावे पर उस प्रतिपक्ष पर रेटिंग वाले अल्पकालिक दावे पर लागू जोखिम भार से कम से कम एक स्तर अधिक जोखिम भार लगेगा।

यदि किसी जारीकर्ता के पास बाह्य दीर्घकालिक रेटिंग के साथ अल्पकालिक या दीर्घकालिक जोखिम है, जो 150 प्रतिशत के जोखिम भार को प्रमाणित करता है, तो उसी प्रतिपक्ष पर सभी गैर-रेटेड दावों को, चाहे वे अल्पकालिक हों या दीर्घकालिक, 150 प्रतिशत जोखिम भार प्राप्त होगा, जब तक कि बैंक ने ऐसे दावों के लिए मान्यता प्राप्त क्रेडिट जोखिम शमन तकनीकों का उपयोग नहीं किया हो।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के एक्सपोजर की राशि - प्रमुख जोखिम श्रेणियों में सकल अग्रिम (रेटेड और अनरेटेड) - मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत:

30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)			
क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित एक्सपोजर राशि [^]	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर राशि
1.	100% जोखिम भार से नीचे	1,25,610.86	31,593.62
2.	100% जोखिम भार	386.42	-

3.	100% से अधिक जोखिम भार	50.87	4.00
4.	कटौती (जोखिम न्यूनीकरण)	-	-
	कुल	1,26,048.15	31,597.62

सकल अग्रिम (रेटेड और अनरेटेड) में आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, शहरी अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत राज्य सरकारों, परियोजना वित्त ग्राहकों और ट्रेप्स ऋण के लिए ऋण शामिल हैं।

प्रकटीकरण प्रारूप -5: ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोणों के लिए प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) का तात्पर्य तीसरे पक्ष की गारंटी/बीमा सहित मूर्त और वसूली योग्य प्रतिभूतियों के सुरक्षा जाल द्वारा ऋण जोखिम में कमी करना और ऋणी के दिवालियापन/दिवालियापन/परिसमापन की स्थिति में सुरक्षित ऋणदाता की स्थिति ग्रहण करना है।

1. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकार किए गए संपार्श्विक:

1.1 नियमित पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत लागू

आवास वित्त कंपनियों को पुनर्वित्त सुविधा, न्यूनतम 100% और अधिकतम 135% परिसंपत्ति कवर के साथ, बही ऋणों पर प्रथम अनन्य प्रभार पर प्रदान की जाएगी। जहाँ भी आवास वित्त कंपनी बही ऋणों पर अनन्य प्रभार प्रदान करने में असमर्थ हो और राष्ट्रीय आवास बैंक से अनुरोध करे कि वह संबंधित नीति के अनुसार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋणात्मक ग्रहणाधिकार के आधार पर या समतुल्य प्रभार के आधार पर पुनर्वित्त प्रदान करने पर विचार करे। यदि उसे निर्धारित ऋण परिसंपत्तियों पर समतुल्य प्रभार स्वीकार/त्याग करने की स्वीकृति मिल जाती है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक, समतुल्य या अनन्य आधार पर विस्तारित/विस्तारित की जाने वाली पुनर्वित्त सीमा के लिए पर्याप्त सुरक्षा कवरेज बनाए रखने हेतु, समतुल्य प्रभार स्वीकार/त्याग करेगा।

अतिरिक्त सुरक्षा, यदि आवश्यक हो, तो निम्न में से एक या अधिक के रूप में:

क. बैंक गारंटी

ख. मूल संस्थान की कॉर्पोरेट गारंटी

ग. प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी

1.2 किसी अन्य पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत लागू

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए उनसे अपरिवर्तनीय प्राधिकरण पत्र प्राप्त किया जाता है, क्योंकि चूक की स्थिति में, एनएचबी को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रखे गए उनके चालू खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

1.3 परियोजना वित्त के अंतर्गत लागू

परियोजना वित्त के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों/संयुक्त क्षेत्र की एजेंसियों के लिए संपार्श्विक की सीमा ऋण की राशि का न्यूनतम 100% है।

मौजूदा परियोजना वित्त नीति के अनुसार, उधारकर्ता की प्रकृति के आधार पर, बैंक निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक प्रतिभूतियां प्राप्त कर सकता है:

- क. बंधक/अचल संपत्ति पर भार/प्राप्ति पर भार/वसूली;
- ख. बैंक गारंटी
- ग. सरकारी गारंटी
- घ. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा रसीदें
- ड. कॉर्पोरेट गारंटी, अपने कर्मचारियों के किराये/स्वामित्व वाले आवास के लिए कॉर्पोरेट को दी जाने वाली परियोजना वित्त व्यवस्था के मामले में अनिवार्य सुरक्षा के रूप में
- च. कोई अन्य प्रतिभूति, जो राष्ट्रीय आवास बैंक को मामले-दर-मामला आधार पर स्वीकार्य हो।

इसके अलावा, बैंक संवितरण की निगरानी और परियोजना अंतर्वाह की उचित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एस्करो खाते प्राप्त करने पर विचार कर सकता है।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए पात्र ऋण जोखिम न्यूनीकरण उपकरण:

वर्तमान में, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्वीकार किए गए नीचे उल्लिखित उपकरण/संपार्श्विक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बेसल III दिशानिर्देशों के तहत ऋण जोखिम शमन के लिए पात्र हैं:

- क. बैंक गारंटी
- ख. मूल संस्थान की कॉर्पोरेट गारंटी
- ग. केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी सरकारी गारंटी

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

वर्तमान में, बैंक पूंजी गणना में ऋण जोखिम न्यूनीकरण हेतु उपलब्ध संपार्श्विक पर विचार नहीं कर रहा है। हालाँकि, बैंक द्वारा स्वीकृत पात्र संपार्श्विक, आवश्यकतानुसार, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं।

प्रकटीकरण प्रारूप -6: प्रतिभूतिकरण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
विवरण	ब्यौरा
उद्देश्य	बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 द्वारा प्रदत्त प्रचारात्मक गतिविधि के तहत आवास वित्त क्षेत्र को समर्थन देने के लिए निवेश के अवसरों में विविधता लाने के लिए पास-श्रू सर्टिफिकेट में निवेश करता है।
जोखिमों की प्रकृति	इससे जुड़े जोखिम हैं ऋण, बाजार, पूर्व भुगतान।
मौजूदा पीटीसी होल्डिंग में राष्ट्रीय आवास बैंक की भूमिका	निवेशकर्ता
ऋण और बाजार जोखिमों की निगरानी	बैंक नियमित रूप से मासिक आधार पर ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर्निहित ऋण पूल के व्यवहार का आकलन कर रहा है।
जोखिमों को नियंत्रित करने वाली नीति	बैंक ने निवेश से जुड़े जोखिमों को मापने के पहलुओं को शामिल करते हुए एक नीति बनाई है।
प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए लेखांकन नीति	बैंक ने पीटीसी उपकरणों में निवेश किया है और किसी भी ऋण पूल की शुरुआत या प्रतिभूतिकरण नहीं किया है। निवेशित पीटीसी के लेखांकन के प्रयोजनार्थ, बैंक बेसल 3 मानदंडों द्वारा निर्देशित है क्योंकि पीटीसी में निवेश को ट्रेडिंग बुक के अंतर्गत एएफएस के रूप में रखा जा रहा है।
बरकरार या खरीदी गई स्थिति के मूल्यांकन में लागू विधियां और प्रमुख धारणाएं (इनपुट सहित)	पीटीसी का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल दरों के आधार पर किया जा रहा है, जिसकी गणना पेपर की भारित औसत परिपक्वता के सापेक्ष सरकारी प्रतिभूतियों के परिपक्वता पर प्रतिफल पर कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड को जोड़कर की जाती है। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन/फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित दरों पर विचार किया गया है।

बैंकिंग बही - मात्रात्मक प्रकटीकरण		
क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
(a)	एआईएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत जोखिमों की कुल राशि;	
(b)	वर्तमान अवधि के दौरान एआईएफआई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिभूतिकृत हानियों के लिए, जोखिम के प्रकार (जैसे आवास ऋण आदि, अंतर्निहित सुरक्षा द्वारा विस्तृत) के अनुसार विभाजित किया गया है।	
(c)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों की राशि	
(d)	(च) में से, प्रतिभूतिकरण से पहले एक वर्ष के भीतर उत्पन्न परिसंपत्तियों की राशि।	

(e)	प्रतिभूतिकृत जोखिमों की कुल राशि (जोखिम के प्रकार के अनुसार) तथा जोखिम के प्रकार के अनुसार बिक्री पर अप्रमाणित लाभ या हानि।	शून्य
(f)	कुल राशि:	
	• बैलेंस शीट पर प्रतिभूतिकरण जोखिम बनाए रखा या खरीदा जोखिम के प्रकार के अनुसार विभाजित और	
	• जोखिम के प्रकार के अनुसार ऑफ-बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जोखिम	
(g)	(i) प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिमों की कुल राशि और संबंधित पूंजीगत शुल्क, जोखिमों के बीच विभाजित और प्रत्येक नियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए अलग-अलग जोखिम भार बैंड में विभाजित	शून्य
	(ii) वे जोखिम जो टियर 1 पूंजी से पूरी तरह से घटा दिए गए हैं, कुल पूंजी से घटाए गए क्रेडिट संवर्द्धन आई/ओ, तथा कुल पूंजी से घटाए गए अन्य जोखिम (जोखिम प्रकार के अनुसार)।	
ट्रेडिंग पुस्तक		
(h)	एआईएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत जोखिमों की कुल राशि जिसके लिए एआईएफआई ने कुछ जोखिम बरकरार रखे हैं, तथा जो जोखिम के प्रकार के अनुसार बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन है।	शून्य
(i)	कुल राशि:	
	• तुलन पत्र पर प्रतिभूतिकरण जोखिम बनाए रखा या खरीदा जोखिम के प्रकार के अनुसार विभाजित; और	₹ 84.73 करोड़ (निवेशित)* प्रकार: वैयक्तिक आवास ऋण
	• जोखिम के प्रकार के अनुसार ऑफ-तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण जोखिम	शून्य
(j)	प्रतिभूतिकरण जोखिमों की कुल राशि, जो निम्न के लिए अलग से रखी गई या खरीदी गई:	
	• विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम माप के अधीन प्रतिभूतिकरण जोखिम को बरकरार रखा गया या खरीदा गया; और	जोखिम बैंड: <100%. पूंजीगत शुल्क विशिष्ट: 1.52 करोड़
	• प्रतिभूतिकरण जोखिम विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन हैं, जिन्हें विभिन्न जोखिम भार बैंडों में विभाजित किया गया है।	जोखिम बैंड: <100% पूंजीगत शुल्क सामान्य: 0.02 करोड़
(k)	कुल राशि:	
	• प्रतिभूतिकरण जोखिमों के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं, प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन, जिन्हें विभिन्न जोखिम भार बैंडों में विभाजित किया गया है।	शून्य
	• प्रतिभूतिकरण जोखिम जो पूरी तरह से टियर 1 पूंजी से घटाए जाते हैं, क्रेडिट बढ़ाने वाले आई/ओ जो कुल पूंजी से घटाए जाते हैं, और अन्य जोखिम जो	

कुल पूंजी से घटाए जाते हैं (जोखिम प्रकार के अनुसार)।	
--	--

* पीटीसी में निवेश से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण	
विवरण	ब्यौरा
निवेश की कुल राशि	श्रृंखला ए पीटीसी कुल ₹ 100.00 करोड़ तक
पीटीसी में निवेश	बिक्री के लिए उपलब्ध - ट्रेडिंग बुक
30.06.2026 तक पीटीसी का मूल्यांकन	₹ 84.73 करोड़
पीटीसी का प्रकार	वैयक्तिक आवास ऋण पूल, वरिष्ठ ट्रैच द्वारा सुरक्षित।
पूल रेटिंग	श्रृंखला ए पीटीसी के लिए क्रिसिल एएए (एसओ) और केयर एएए (एसओ) की अनंतिम रेटिंग, एक निश्चित स्तर की क्रेडिट वृद्धि के अधीन।
पीटीसी में राष्ट्रीय आवास बैंक के निवेश के लिए सुविधा उपलब्ध	1. इक्विटी ट्रैन्च पीटीसी में विक्रेता द्वारा 10.08% निवेश 2. नकद आरक्षित निधि, प्राप्त राशि के प्रारंभिक कुल मूल बकाया के 5% के बराबर अधिकतम राशि 3. प्रारंभिक अतिदेय
ऑफ-बैलेंस शीट वाहनों का प्रायोजन	उपरोक्त पीटीसी निर्गम से संबंधित कोई जवाब नहीं।
प्रतिभूतिकरण जोखिमों के संबंध में पाइपलाइन और वेयरहाउसिंग जोखिम	शून्य

प्रकटीकरण प्रारूप -7: ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

मानकीकृत दृष्टिकोण द्वारा कवर किए गए पोर्टफोलियो सहित बाजार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकता।

बाजार जोखिम, ब्याज दरों, विनिमय दरों, कमोडिटी की कीमतों, इक्विटी की कीमतों जैसे बाजार चरों में होने वाले बदलावों के कारण किसी वित्तीय संस्थान को होने वाले संभावित नुकसान का आकलन और परिमाणीकरण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। बैंक वर्तमान में ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर संबंधी उपकरणों, इक्विटी और विदेशी मुद्रा जोखिम (सोने और अन्य कीमती धातुओं सहित) पर बाजार जोखिम पूँजी की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है।

बाजार जोखिम के घटक-

1. **ब्याज दर जोखिम-** यह जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होता है, जो निश्चित आय प्रतिभूतियों, ऋणों और अन्य ब्याज-संवेदनशील उपकरणों के मूल्य को प्रभावित करता है। बैंक, बीमा कंपनियाँ और अन्य वित्तीय संस्थान, जिनका ब्याज दर-संवेदनशील परिसंपत्तियों और देनदारियों में महत्वपूर्ण निवेश है, ब्याज दर जोखिम के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं।
2. **विदेशी मुद्रा जोखिम-** यह विनिमय दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होता है, जिसका प्रभाव विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य पर पड़ता है। बैंक को उस अवधि के दौरान प्रतिकूल विनिमय दर परिवर्तनों के कारण नुकसान हो सकता है, जब उसके पास स्पॉट या फॉरवर्ड, या दोनों का संयोजन, खुली स्थिति हो।
3. **इक्विटी जोखिम -** यह इक्विटी कीमतों में उतार-चढ़ाव से होने वाले संभावित नुकसान को दर्शाता है। यह बैंक की लाभप्रदता और नकदी प्रवाह को प्रभावित कर सकता है।
4. **तरलता जोखिम-** यह बाजार मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि किए बिना परिसंपत्तियों को शीघ्रता से और उचित मूल्य पर खरीदने या बेचने में असमर्थता से उत्पन्न होता है। तरलता रहित बाजार या सीमित व्यापारिक मात्रा वाली परिसंपत्तियाँ वित्तीय संस्थानों को तरलता जोखिम के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं, जिससे लेनदेन निष्पादित करने या अपनी स्थिति का परिसमापन करने में कठिनाई हो सकती है।

संरचना और संगठन -

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जो एक बोर्ड स्तरीय समिति है, जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

जोखिम रिपोर्टिंग और मापन का दायरा

बाजार जोखिम को मापने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, और बैंक परिपक्वता अंतराल विश्लेषण, अवधि अंतराल विश्लेषण, और मार्क-टू-मार्केट पद्धति, ट्रेडिंग बुक के आकार की सीमा और निवेश एवं उधार नीति के तहत निर्धारित पीवी01 का उपयोग करता है। बैंक, बेसल-III के अंतर्गत बैंक की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के लिए बाजार जोखिमों के विरुद्ध पूंजी प्रभार की गणना हेतु मानकीकृत पद्धति का उपयोग करता है।

ब्याज दर संवेदनशील उत्पादों के लिए उपाय

क संशोधित अवधि

ख पीवी01

ग वैल्यू एट रिस्क

बाजार जोखिम को कम करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं

बैंक ने अपनी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभिन्न जोखिम सीमाएँ निर्धारित की हैं और यह सुनिश्चित किया है कि परिचालन उचित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन के माध्यम से बाजार जोखिम पर प्रतिफल की बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हों। ये नीतियाँ बाजार जोखिम की प्रभावी निगरानी के लिए रिपोर्टिंग ढाँचे से भी संबंधित हैं।

(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

		राशि (करोड़ में)
क्र. सं.	इसके लिए आवश्यक पूंजी की राशि	30 जून, 2026
(क)	ब्याज दर जोखिम	12.93
(ख)	इक्विटी स्थिति जोखिम	364.61
(ग)	विदेशी मुद्रा जोखिम	10.76

प्रकटीकरण प्रारूप -8: परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकता।

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों और प्रणालियों, या बाहरी घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान का जोखिम है। बैंकों के लिए स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय एवं प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान से सुरक्षा के लिए परिचालन जोखिम का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक रूप से, संगठन यह स्वीकार करता है कि उसके कर्मचारी, प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ अपूर्ण हैं, और त्रुटियों तथा अप्रभावी संचालनों के कारण नुकसान होगा। संगठन जिस नुकसान को स्वीकार करने को तैयार है, क्योंकि त्रुटियों को सुधारने या प्रणालियों में सुधार की लागत, उन्हें मिलने वाले लाभ के अनुपात से अधिक है, वही परिचालन जोखिम के प्रति उसकी इच्छा को निर्धारित करता है। बैंक का उद्देश्य परिचालन जोखिम को न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और ढाँचा विकसित करके आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करना है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित अपनी परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन रेज़िलिएंस नीति तैयार की है। बैंक के परिचालन जोखिम की निगरानी बैंक के आंतरिक सदस्यों से युक्त एक परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा की जाएगी। परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करेगी।

ओआरएमसी परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन और उन्हें कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बैंक की प्रक्रियाओं, प्रणालियों और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए नियंत्रणों के विकास और कार्यान्वयन की देखरेख करता है। यह समिति जोखिम परिदृश्य की निरंतर निगरानी करती है, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है और घटना रिपोर्टों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त, ओआरएमसी आंतरिक नीतियों और नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ऐतिहासिक हानि डेटा, आरसीएसए और केआरआई आवश्यकताओं को बनाए रखना सुनिश्चित करता है।

नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार की गणना हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण अपना रहा है। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को परिचालन जोखिम हेतु अपनी पिछले तीन वर्षों की सकारात्मक औसत वार्षिक सकल आय के 15% के बराबर पूंजी धारण करनी होगी। लेखापरीक्षित वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी प्रभार ₹391.23 करोड़ है।

प्रकटीकरण प्रारूप -9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम(आईआरआरबीबी)

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकता जिसमें बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम की प्रकृति और प्रमुख धारणाएं शामिल हैं, जिनमें ऋण पूर्व भुगतान और गैर-परिपक्व जमाओं के व्यवहार के संबंध में धारणाएं और आईआरआरबीबी माप की आवृत्ति शामिल हैं।

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) ब्याज दरों में बदलाव के कारण बैंक की बैंकिंग बुक की आय या आर्थिक मूल्य में हानि के जोखिम को दर्शाता है। बैंक इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, इसे एक मात्रात्मक जोखिम के रूप में मानते हुए, अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) जोखिम मूल्यांकन के हिस्से के रूप में आईआरआरबीबी की गणना करता है।

इक्विटी का आर्थिक मूल्य अवधि अंतराल विश्लेषण के माध्यम से मापा जाता है, जिसमें दर-संवेदनशील परिसंपत्तियों और दर-संवेदनशील देनदारियों के बीच संशोधित अवधि अंतराल की गणना की जाती है, जिससे इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण होता है। डीओई ब्याज दरों में बदलाव के प्रति इक्विटी के बाजार मूल्य की संवेदनशीलता को मापता है। डीओई का उपयोग करते हुए, बैंक इक्विटी के आर्थिक मूल्य में 200 आधार अंकों के ऊपरी और निचले समानांतर दर झटकों के तहत बदलाव का अनुमान लगाता है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम निम्न रूप में हो सकता है:

- क) यील्ड कर्व जोखिम, विभिन्न अवधियों के लिए ब्याज दरों के सापेक्ष स्तरों में परिवर्तन के कारण आय और बहीखाते के आर्थिक मूल्य में हानि का जोखिम है। पुनर्मूल्यन जोखिम की तरह, यह भी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच पुनर्मूल्यन के बेमेल से उत्पन्न होता है। यील्ड कर्व जोखिम तब उत्पन्न होता है जब यील्ड कर्व में अप्रत्याशित बदलाव बैंक की आय या अंतर्निहित आर्थिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
- ख) आधार जोखिम, समान पुनर्मूल्यांकन विशेषताओं वाले विभिन्न उपकरणों पर अर्जित और भुगतान की गई दरों के समायोजन में अंतराल से उत्पन्न होता है। जब ब्याज दरें बदलती हैं, तो ये अंतर समान परिपक्वता या पुनर्मूल्यांकन आवृत्तियों वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच नकदी प्रवाह और आय प्रसार में अप्रत्याशित परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं।
- ग) एल्को द्वारा मासिक अंतराल पर 1-28 दिनों से लेकर 10 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए दर-संवेदनशील देनदारियों और दर-संवेदनशील परिसंपत्तियों के बीच विसंगतियों को मापकर अंतराल विश्लेषण की निगरानी की जा रही है। बैंक इक्विटी के आर्थिक मूल्य के दृष्टिकोण से अवधि अंतराल विश्लेषण कर रहा है और ब्याज दर में 200 आधार अंकों के परिवर्तन के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के साथ परिणाम एल्को के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

(i) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

आय में वृद्धि (गिरावट) और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रासंगिक उपाय) प्रबंधन की विधि के अनुसार आईआरआरबीबी को मापने के लिए ऊपर और नीचे की दर के झटकों के लिए, मुद्रा के अनुसार विभाजित (जहां कारोबार कुल कारोबार का 5% से अधिक है)।

	30 जून, 2026	
विवरण	(+) 100 बीपीएस	(-) 100 बीपीएस
ब्याज दरों में 100 बीपीएस की वृद्धि से एनआईआई (करोड़ में) पर प्रभाव	56.52	(56.52)
ब्याज दरों में 200 बीपीएस परिवर्तन के साथ नेट वर्थ के प्रतिशत के रूप में एमवीई पर प्रभाव	7.66%	

प्रकटीकरण प्रारूप -10: प्रतिपक्ष ऋण जोखिम से संबंधित जोखिमों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

प्रतिपक्ष ऋण जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है जिसमें किसी वित्तीय लेनदेन में प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में चूक करेगा या विफल रहेगा। यह जोखिम विभिन्न वित्तीय लेनदेनों में व्याप्त है, जिनमें डेरिवेटिव, प्रतिभूति उधार और ऋण जोखिम के अन्य रूप शामिल हैं। यदि प्रतिपक्ष के साथ लेनदेन या लेनदेन के पोर्टफोलियो का चूक के समय सकारात्मक आर्थिक मूल्य है, तो आर्थिक हानि होगी।

बैंक ऋण विश्लेषण, संपार्श्विक समझौतों और जोखिम न्यूनीकरण तकनीकों जैसे प्रतिपक्ष सीमा निर्धारित करना, बैंक गारंटी प्राप्त करना आदि के माध्यम से प्रतिपक्ष ऋण जोखिम का बारीकी से प्रबंधन करता है।

नीतियां और प्रक्रियाएं

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है जो बैंक के व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप डेरिवेटिव उत्पादों के उपयोग की अनुमति देती है। प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएँ प्रत्येक प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर हैं। डेरिवेटिव अनुबंधों के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान जोखिम पद्धति के अनुसार की जाती है। बैंक वित्तीय डेरिवेटिव लेनदेन का उपयोग मुख्यतः अपनी परिसंपत्तियों/देयताओं की हेजिंग और लागत कम करने के लिए करता है। ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन के लिए बैंक वर्तमान में केवल ओवर-द-काउंटर ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव में ही व्यापार करता है। स्वैप पर विनिमयित ब्याज का लेखा-जोखा उपार्जन आधार पर किया जाता है।

मूल्यांकन

डेरिवेटिव अनुबंधों का बकाया मूल्य बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार मासिक/तिमाही आधार पर आंका जाता है और मासिक आधार पर एएलसीओ को सूचित किया जाता है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

		30 जून, 2026
क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ में)
1	काल्पनिक मूलधन	539.27
2	संभावित भविष्य जोखिम	24.99
3	प्रतिस्थापन लागत	173.59
4	क्रेडिट समतुल्य या ईएडी	198.58
5	आरडब्ल्यूए	39.72
6	पूँजीगत प्रभार	3.57

प्रकटीकरण प्रारूप -11: पूंजी की संरचना

30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)			
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: उपकरण और आरक्षित निधि			
			डीएफ-12 में चरण 2 के साथ संदर्भ
1)	प्रत्यक्ष रूप से जारी योग्य सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	14,990.11	A1+B1+B2
2)	प्रतिधारित आय	2,602.38	C1
3)	अन्य संचित व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियाँ)	-	-
4)	प्रत्यक्ष रूप से जारी की गई पूंजी सीईटी1 से चरणबद्ध तरीके से बाहर की जाएगी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	-	-
5)	सहायक कंपनियों द्वारा जारी और तीसरे पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	-	-
6)	विनियामक समायोजन से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	17,592.49	A1+B1+B2+C1
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी: नियामक समायोजन			
7)	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	-
8)	गुडविल (संबंधित कर देयता को घटाकर)	-	-
9)	अमूर्त संपत्ति (संबंधित कर देयता को घटाकर)	13.22	D1+D2+D3
10)	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-	-
11)	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व	-	-
12)	अपेक्षित घाटे के लिए प्रावधानों की कमी	-	-
13)	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	-	-
14)	उचित मूल्यांकित देनदारियों पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	-	-
15)	परिभाषित-लाभ पेंशन निधि शुद्ध परिसंपत्तियाँ	-	-
16)	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट की गई बैलेंस शीट पर चुकता पूंजी को पहले से ही घटाया नहीं गया है)	-	-
17)	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉसहोल्टिंग्स	-	-
18)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, पात्र लघु पदों को छोड़कर, जहां एआईएफआई के पास जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक हिस्सा नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	-	-

30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)			
19)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, पात्र शॉर्ट पोजीशन के शुद्ध (10% सीमा से ऊपर की राशि)	-	-
20)	बंधक सेवा अधिकार (10% सीमा से ऊपर की राशि)	-	-
21)	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ ¹⁹ (10% सीमा से ऊपर की राशि, संबंधित कर देयता को घटाकर)	-	-
22)	15% सीमा से अधिक राशि	-	-
23)	जिनमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	-	-
24)	जिनमें से: बंधक सेवा अधिकार	-	-
25)	जिनमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-	-
26)	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन	-	-
27)	कटौतियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 अपर्याप्त होने के कारण कॉमन इक्विटी टियर 1 पर विनियामक समायोजन लागू किए गए	-	-
28)	सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	13.22	D1+D2+D3
29)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	17,579.27	(A1+B1+B2+C1) - (D1+D2+D3)
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: उपकरण			
30)	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए योग्य अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	-	-
31)	जिनमें से: लागू लेखांकन मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर-संचयी वरीयता शेयर)	-	-
32)	जिनमें से: लागू लेखांकन मानकों के तहत देनदारियों के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण उपकरण)	-	-
33)	प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजीगत लिखत अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध तरीके से बाहर किए जाएंगे	-	-
34)	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए और तीसरे पक्ष द्वारा रखे गए अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 उपकरण) (समूह एटी1 में अनुमत राशि)	-	-
35)	जिनमें से: सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने के अधीन हैं	-	-
36)	विनियामक समायोजन से पहले अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	-	-
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: नियामक समायोजन			
37)	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	-	-

30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)			
38)	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक क्रॉसहोल्डिंग्स	-	-
39)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, पात्र लघु पदों को छोड़कर, जहां एआईएफआई के पास संस्था की जारी सामान्य शेयर पूंजी का 10% से अधिक हिस्सा नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	-	-
40)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा क्षेत्र में पूंजीगत निवेश	-	-
	वे संस्थाएं जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं (पात्र शॉर्ट पोजीशन को छोड़कर)	-	-
41)	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	-	-
41a)	जिसमें से: असंपिंडित बीमा सहायक कंपनियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	-	-
41b)	जिनमें से: बहुसंख्यक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी, जिन्हें एआईएफआई के साथ समेकित नहीं किया गया है	-	-
42)	कटौतियों को कवर करने के लिए टियर 2 अपर्याप्त होने के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर विनियामक समायोजन लागू किया गया	-	-
43)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	-	-
44)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	-	-
45)	टियर 1 पूंजी टी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)	17,579.27	(A1+B1+B2+C1) - (D1+D2+D3)
टियर 2 पूंजी: उपकरण और प्रावधान			
46)	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए अर्हक टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	-	-
47)	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पूंजीगत लिखत टियर 2 से चरणबद्ध तरीके से बाहर किए जाएंगे	-	-
48)	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए और तीसरे पक्ष द्वारा रखे गए टियर 2 लिखत (और सीईटी1 और एटी1 उपकरण जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं हैं) (समूह टियर 2 में अनुमत राशि)	-	-
49)	जिनमें से: सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने के अधीन हैं	-	-
50)	प्रावधान	394.31	-
51)	नियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूंजी	394.31	-
टियर 2 पूंजी: नियामक समायोजन			
52)	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	-	-
53)	टियर 2 उपकरणों में पारस्परिक क्रॉसहोल्डिंग्स	-	-

30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)			
54)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, पात्र शॉर्ट पोजीशन के शुद्ध, जहां एआईएफआई के पास संस्था की जारी सामान्य शेयर पूंजी का 10% से अधिक स्वामित्व नहीं है (10% सीमा से ऊपर की राशि)	-	-
55)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं (पात्र लघु पदों को छोड़कर)	-	-
56)	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	-	-
56 क)	जिसमें से: असंपिंडित बीमा सहायक कंपनियों की टियर 2 पूंजी में निवेश	-	-
56 ख)	जिनमें से: बहुसंख्यक स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 पूंजी में कमी, जिन्हें एआईएफआई के साथ समेकित नहीं किया गया है	-	-
57)	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	-	-
58)	टियर 2 पूंजी	394.31	-
59)	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	17,973.58	-
60)	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ (60 क + 60 ख + 60 ग)	41,289.10	-
60a)	जिनमें से: कुल ऋण जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	31,544.93	-
60b)	जिनमें से: कुल बाजार जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	4,853.79	-
60c)	s कुल परिचालन जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	4,890.38	-
पूंजी अनुपात और बफर			
61)	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	42.58%	-
62)	टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	42.58%	-
63)	कुल पूंजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	43.53%	-
64)	लागू नहीं	-	-
65)	लागू नहीं	-	-
66)	लागू नहीं	-	-
67)	लागू नहीं	-	-
68)	लागू नहीं	-	-
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69)	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	5.50%	-
70)	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	7.00%	-

30 जून, 2026 तक राशि (करोड़ में)			
71)	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	9.00%	-
कटौती की सीमा से नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)			
72)	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	-	-
73)	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	-	-
74)	बंधक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता को घटाकर)	-	-
75)	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (संबंधित कर देयता को घटाकर)	-	-
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएँ			
76)	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिमों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पहले)	1,016.20	E1+E2+E3
77)	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	394.31	-
78)	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण के अधीन जोखिमों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पहले)	-	-
79)	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की सीमा	-	-
फेज-आउट व्यवस्था के अधीन पूंजीगत उपकरण			
80)	सीईटी1 उपकरणों पर वर्तमान सीमा चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जाने वाली व्यवस्था के अधीन है	-	-
81)	कैप के कारण सीईटी1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप से अधिक)	-	-
82)	एटी1 उपकरणों पर वर्तमान सीमा चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जाने वाली व्यवस्था के अधीन है	-	-
83)	कैप के कारण एटी1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप से अधिक)	-	-
84)	टी2 उपकरणों पर वर्तमान सीमा चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की व्यवस्था के अधीन है	-	-
85)	कैप के कारण टी2 से बाहर रखी गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप से अधिक)	-	-

टेम्पलेट के लिए नोट्स

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(करोड़ में)
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	394.31
	पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को टियर 2 पूंजी में शामिल किया गया	-
	पंक्ति का कुल योग 50	394.31

तालिका प्रकटीकरण प्रारूप -12: पूंजी संरचना - मिलान संबंधी आवश्यकताएं:

चरण 1

		राशि करोड़ में
		वित्तीय विवरणों के अनुसार बैलेंस शीट
		रिपोर्टिंग तिथि 30 जून, 2026 तक
A	पूंजी और देयताएं	
i	प्रदत्त पूंजी	1,450.00
	भंडार /संरक्षित और अधिशेष	16,821.25
	अल्पसंख्यक ब्याज	-
	कुल पूंजी	18,271.25
ii	जमा	36,790.36
	जिनमें से: बैंकों से जमा	36,790.36
	जिसमें से: ग्राहक जमा	-
	जिनमें से: अन्य जमा	-
iii	उधारी	73,908.40
	जिनमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से	-
	जिनमें से: बैंकों से	31,199.96
	जिनमें से: अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	1,701.27
	जिनमें से: अन्य (पूंजीगत उपकरण बांड के अलावा अन्य बांड)	40,841.65
	जिनमें से: अन्य (टीआरईपी उधार)	165.52
	जिनमें से: पूंजीगत उपकरण	-
iv	अन्य देनदारियाँ और प्रावधान	3,936.92
	जिनमें से: डीटीएल (नेट)	500.82
	जिनमें से: अन्य	3,436.10
	कुल	1,32,906.93
ख	संपत्ति	
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष	0.05
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्प सूचना पर उपलब्ध धनराशि	2,883.05
ii	निवेश:	3,222.71

	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	926.17
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	972.96
	जिनमें से: शेयर	853.88
	जिनमें से: डिबेंचर और बॉन्ड	384.97
	जिनमें से: सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम / सहयोगी	-
	जिनमें से: अन्य (पीटीसी, सीपी, म्यूचुअल फंड आदि)	84.73
iii	ऋण और अग्रिम	1,26,048.14
	जिनमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम	24,791.02
	जिनमें से: आवास वित्त कंपनियों को ऋण और अग्रिम	98,508.13
	जिनमें से: राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	2,742.32
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	-
	जिनमें से: आवास बोर्डों/विकास प्राधिकरणों को ऋण और अग्रिम	6.67
	जिनमें से: ट्रेप्स के तहत ऋण	-
iv	अचल संपत्तियां	60.97
v	अन्य परिसंपत्तियां	692.01
	जिनमें से: साख और अमूर्त संपत्तियां	-
	जिनमें से: आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	-
vi	समेकन पर साख	-
vii	लाभ और हानि खाते में डेबिट/ जमा शेष	-
	कुल संपत्ति	1,32,906.93

चरण 2

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	
क	पूंजी और देयताएं	रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार	संदर्भ
	प्रदत्त पूंजी	1,450.00	
	जिसमें से: सीईटी1 के लिए पात्र राशि	1,450.00	A1
	जिसमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि	-	
i	आरक्षित और अधिशेष	16,821.25	
	जिसमें से: आरक्षित निधि	10,576.26	B1
	जिनमें से: आईटी अधिनियम की धारा 36 (i) (viii) के तहत विशेष रिजर्व	2,963.85	B2

	जिनमें से: निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित	-	E1
	जिसमें से: विशेष निधि (स्लम सुधार और कम लागत वाली आवास निधि)	590.77	
	जिसमें से: कर्मचारी कल्याण कोष (एसबीएफ)	87.99	
	जिसमें से: पी एंड एल खाते में शेष राशि	2,602.38	C1
	अल्पसंख्यक ब्याज	-	
	कुल पूंजी	18,271.25	
ii	जमा	36,790.36	
	जिनमें से: बैंकों से जमा	36,790.36	
	जिसमें से: ग्राहक जमा	-	
	जिनमें से: अन्य जमा (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	
iii	उधारी	73,908.40	
	जिनमें से: भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	
	जिनमें से: बैंकों से	31,199.96	
	जिनमें से: अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	1,701.27	
	जिनमें से: अन्य (पूंजीगत उपकरण बांड के अलावा अन्य बांड)	40,841.65	
	जिनमें से: अन्य (टीआरईपी उधार)	165.52	
	जिनमें से: पूंजीगत लिखत	-	
iv	अन्य देनदारियाँ और प्रावधान	3,936.92	
	जिनमें से: मानक परिसंपत्तियों का प्रावधान	504.09	E2
	जिनमें से: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(vii)(c) के तहत खराब और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान	512.11	E3
	जिनमें से: डीटीएल (नेट)	500.82	
	जिनमें से: अन्य	2,419.90	
	जिनमें से: साख से संबंधित डीटीएल	-	
	जिनमें से: अमूर्त संपत्तियों से संबंधित डीटीएल	-	
	कुल	1,32,906.93	
ख	संपत्ति	रिपोर्टिंग की तिथि तक	संदर्भ
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	0.05	
	बैंकों के पास शेष राशि और कॉल एवं अल्प सूचना पर धन	2,883.05	
ii	निवेश	3,222.71	
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	926.17	
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	972.96	
	जिनमें से: शेयर	853.88	

	जिनमें से: डिबेंचर और बॉन्ड	384.97	
	जिनमें से: अन्य (पीटीसी, सीपी, म्यूचुअल फंड आदि)	84.73	
	ऋण और अग्रिम	1,26,048.14	
	जिनमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम	24,791.02	
	जिनमें से: आवास वित्त कंपनियों को ऋण और अग्रिम	98,508.13	
iii	जिनमें से: राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम।	2,742.32	
	जिनमें से: आवास बोर्डों/विकास प्राधिकरणों को ऋण और अग्रिम	6.67	
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	-	
	जिनमें से: ट्रेप्स के तहत ऋण	-	
iv	अचल संपत्तियां	60.97	
	जिनमें से: अमूर्त संपत्तियां (सॉफ्टवेयर)	2.74	D1
	जिनमें से: अन्य	58.23	
	अन्य परिसंपत्तियां	692.01	
	जिनमें से: गुडविल और अमूर्त संपत्तियाँ	10.48	
	जिनमें से:		
	- साख	-	
v	- प्रीपेड खर्च	2.71	D2
	- आस्थगित व्यय	7.77	D3
	- अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर)	-	
	- आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	
	जिनमें से: अन्य	681.53	
vi	समेकन पर साख	-	
vii	लाभ और हानि खाते में डेबिट/ जमा शेष	-	
	कुल	1,32,906.93	

तालिका प्रकटीकरण प्रारूप -13: नियामक पूंजीगत उपकरणों की मुख्य विशेषताएं

रिपोर्टिंग की तिथि तक, यह प्रकटीकरण प्रारूप राष्ट्रीय आवास बैंक पर लागू नहीं है

तालिका प्रकटीकरण प्रारूप -14: नियामक पूंजीगत लिखतों की पूर्ण नियम और शर्तें

रिपोर्टिंग की तिथि तक, यह प्रकटीकरण प्रारूप राष्ट्रीय आवास बैंक पर लागू नहीं है

तालिका प्रकटीकरण प्रारूप -15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

रिपोर्टिंग की तिथि तक, यह प्रकटीकरण प्रारूप राष्ट्रीय आवास बैंक पर लागू नहीं है

तालिका प्रकटीकरण प्रारूप -16: इक्विटीज़ - बैंकिंग बही स्थिति के लिए प्रकटीकरण

बैंक के निवेशों को खरीद के समय ट्रेडिंग के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारण किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। बैंकों द्वारा अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर व्यापार करने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियों को 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और जो प्रतिभूतियाँ उपरोक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा।

सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेश को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी निवेश एएफएस प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत हैं। बैंकिंग बही के अंतर्गत बैंक का कोई इक्विटी निवेश नहीं है। इसलिए, रिपोर्टिंग तिथि तक, यह प्रकटीकरण प्रारूप राष्ट्रीय आवास बैंक पर लागू नहीं है।

प्रकटीकरण प्रारूप -17: लेखांकन परिसंपत्तियों बनाम उत्तोलन अनुपात जोखिम माप की सारांश तुलना

क्र. सं.	मद	(राशि करोड़ में) 30 जून, 2026 तक
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित परिसंपत्तियाँ	1,32,906.93
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जो लेखांकन उद्देश्यों के लिए समेकित हैं लेकिन नियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसार तुलन पत्र पर मान्यता प्राप्त प्रत्ययी परिसंपत्तियों के लिए समायोजन, लेकिन उत्तोलन अनुपात जोखिम माप से बाहर रखा गया	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के लिए समायोजन	198.58
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात्, रेपो और समान सुरक्षित उधार) के लिए समायोजन	-
6	ऑफ-तुलन पत्र मदों के लिए समायोजन (अर्थात्, ऑफ-तुलन पत्र एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि में रूपांतरण)	10,159.03
7	अन्य समायोजन	(13.22)
8	उत्तोलन अनुपात जोखिम	1,43,251.32

प्रकटीकरण प्रारूप -18: उत्तोलन अनुपात सामान्य प्रकटीकरण (30 जून, 2026 तक)

(राशि करोड़ में)

मद		उत्तोलन अनुपात प्रेमवर्क
तुलन पत्र पर जोखिम		
1	बैलेंस शीट पर आइटम (डेरिवेटिव और एसएफटी को छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक सहित)	1,32,906.93
2	(बेसल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशि)	(13.22)
3	कुल तुलन पत्र पर जोखिम (डेरिवेटिव और एसएफटी को छोड़कर) (पंक्तियों 1 और 2 का योग)	1,32,893.71
व्युत्पन्न जोखिम		
4	सभी डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात, पात्र नकद भिन्नता मार्जिन का शुद्ध योग)	173.59
5	सभी डेरिवेटिव लेनदेन से संबद्ध पीएफई के लिए अतिरिक्त राशि	24.99
6	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसार बैलेंस शीट परिसंपत्तियों से कटौती किए जाने पर व्युत्पन्न संपार्श्विक के लिए ग्राँस-अप	-
7	(व्युत्पन्न लेनदेन में प्रदान की गई नकदी भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	-
8	(ग्राहक द्वारा स्वीकृत व्यापार जोखिमों का छूट प्राप्त सी.सी.पी. चरण)	-
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	-
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट और ऐड-ऑन कटौती)	-
11	कुल व्युत्पन्न जोखिम (पंक्ति 4 से 10 का योग)	198.58
प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन जोखिम		
12	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियां (नेटिंग की कोई मान्यता नहीं)	-
13	(सकल एसएफटी परिसंपत्तियों के नकद देय और नकद प्राप्य की शुद्ध राशि)	-
14	एसएफटी परिसंपत्तियों के लिए सीसीआर जोखिम	-
15	एजेंट लेनदेन जोखिम	-
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन जोखिम (पंक्ति 12 से 15 का योग)	-
अन्य ऑफ- तुलन पत्र पर जोखिम		
17	सकल काल्पनिक राशि पर ऑफ-बैलेंस शीट जोखिम	31,597.62
18	(क्रेडिट समतुल्य राशि में रूपांतरण के लिए समायोजन)	(21,438.59)
19	ऑफ-बैलेंस शीट आइटम (पंक्ति 17 और 18 का योग)	10,159.03
पूंजी और कुल जोखिम		

20	टियर 1 पूंजी	17,579.27
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	1,43,251.32
उत्तोलन अनुपात		
22	बेसल III उत्तोलन अनुपात	12.27%